दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित: 05 अक्टूबर, 2023
उद्घोषित: 01 मार्च, 2024

<u>वैवा.अ.(कु.न्या.) 241/2023 एवं सि.वि.आ. 729/2000</u>

एस.सी. नुना ..... अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री नैना केजरीवाल, अधिवक्ता सह सुश्री शोमा, अधिवक्ता।

बनाम

अनीता नूना ..... प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री एस. जनानी एवं सुश्री शारिका राय, अधिवक्तागण के साथ प्रत्यर्थी स्वयं।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुरेश कुमार कैत
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

<u>निर्णय</u>

<u>नीना बंसल कृष्णा, न्या.</u>

वैवाहिक बंधन नाजुक भावनात्मक मानवीय संबंध हैं तथा किसी भी तीसरे व्यक्ति के आगमन के परिणामस्वरूप भरोसा, विश्वास एवं शांति का पूर्ण पतन हो सकता है। किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बंधन का एक मूक विनाशक हो सकता है, जिससे कभी न सुलझने वाले दीर्घकालिक

मतभेद पैदा हो सकते हैं। इस तरह के संबंध अंततः कभी भी फट जाने वाले एक टिक-टिक टाइम बॉम की तरह बन जाते हैं, जहां पीड़ा, निराशा, अस्वीकृति तथा संताप की भावनाएं घर करने लगती हैं तथा विस्फोट के बाद, इन दबी हुई भावनाओं के छर्रे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल सभी लोगों को चोट पहुंचाते हैं।

1. वर्तमान अपील, सि.प्र.सं. 1908 के आदेश 41 नियम 1 के तहत विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के दिनांक 21.12.1999 के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी/पति की ओर से दायर की गई है, जिसमें एचएमए की धारा 13(1)(झ-क) के तहत अपीलार्थी/पति (विवाह-विच्छेद याचिका में याचिकाकर्ता) द्वारा दायर याचिका में क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद से इनकार कर दिया गया था।

2. **संक्षेप में कहा गया है** कि पक्षकार दिनांक 06.12.1982 को विवाह के बंधन में बंधे तथा उन्हें क्रमशः दिनांक 26.09.1984 एवं दिनांक 26.08.1991 को एक बेटी तथा एक बेटा हुआ।

3. **अपीलार्थी/याचिकाकर्ता (पति) ने अपनी विवाह विच्छेद याचिका में यह दावा किया था** कि प्रत्यर्थी असभ्य थी तथा उसकी देखभाल करने से इनकार करती थी और यहां तक कि उसके साथ शारीरिक रूप से मार-पीट भी की थी। उसे पैसे ऐंठने की आदत थी तथा वह अपीलार्थी को अपने रिश्तेदारों को महंगे उपहार देने के लिए मजबूर करती थी तथा प्रत्यर्थी को उसे या उसके परिवार के

सदस्यों के प्रति कोई स्नेह नहीं था। यह दावा किया गया था कि प्रत्यर्थी दिनांक 16.06.1992 को अपनी मां की बीमारी का झूठा बहाना बनाकर पटियाला गई थी, जबकि अपीलार्थी को अपने कार्यालय के काम से काजा जाना था। इसके बाद, अपीलार्थी को पता चला कि प्रत्यर्थी की छोटी बहन पिछले तीन दिनों से लापता है तथा उसे मां की बीमारी का झूठा बहाना बताया गया था। काजा से लौटने पर, वह पटियाला में प्रत्यर्थी के घर रुका तथा परिवार को यह सलाह देने की कोशिश की थी कि बहन को उस आदमी से शादी करने दें जिसके साथ वह गई थी, लेकिन उसके सरोकार के लिये उसकी सराहना नहीं की गई तथा प्रत्यर्थी एवं परिवार के सदस्यों द्वारा उसे विवाह-विच्छेद की धमकी दी गई और अभद्र भाषा का प्रयोग कर उसका मज़ाक उड़ाया गया।

4. एक बार जब उसकी बहन की शादी दिनांक 03.01.1987 को आर्य समाज मंदिर, वसंत विहार में हुई थी, तब प्रत्यर्थी नें उससे झगड़ा किया और उसे अपनी बहन की शादी में शामिल न होने की सलाह दी थी।

5. अपीलार्थी ने आगे कहा था कि जब उनका जी.एम. मोदी अस्पताल में आंत्रपुच्छशोथ (अपेन्डिसाइटिज़) का ऑपरेशन किया गया था, तो प्रत्यर्थी ने भयानक दर्द में होने के बावजूद उसके साथ झगड़ा किया तथा वार्ड कर्मचारियों द्वारा उसे अस्पताल छोड़ने के लिए कहा गया। उसने वुमन सेल, थाना हौज खास, दिल्ली के समक्ष दायर दिनांक 04.07.1994 की अपनी शिकायत में अपीलार्थी पर अनैतिक जीवन जीने का झूठा आरोप लगाया तथा यहां तक कि

सुश्री बी.एस. के साथ उसके अवैध संबंध होने के झूठे एवं निराधार आरोप भी लगाए थे।

6. अपीलार्थी ने कहा कि दिनांक 02.07.1994 को जब वह भोपाल से लौटा तो प्रत्यर्थी अपने माता-पिता एवं बहन के साथ उसके घर आयी तथा उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद प्रत्यर्थी ने दो साल से अधिक समय तक अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करना बंद कर दिया तथा वे एक ही घर में, कमरे में अलग रहने लगे।

7. अपीलार्थी ने जोर देकर कहा कि प्रत्यर्थी के इस तरह के आचरण के कारण उसकी मन की शांति भंग हो गई थी तथा वह खाना पकाने एवं बच्चों की देखभाल सहित सभी घरेलू काम करने के लिए मजबूर था। *इस प्रकार उसने, क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद की मांग की थी।*

8. प्रत्यर्थी/पत्नी ने अपने लिखित कथन में कहा कि विवाह-विच्छेद याचिका दायर करते समय, वह अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। अनिवार्य रूप से, यह दावा किया जाता है कि उनके संबंध सौहार्दपूर्ण थे जब तक कि अपीलार्थी कथित रूप से अपनी सहकर्मी सुश्री बी.एस. के साथ अवैध संबंध नहीं थे। जब उन्हें वर्ष 1993 में इस बारे में पता चला, तो उनके बीच मतभेद पैदा हो गए। यह दावा किया जाता है कि इस अवैध संबंध के कारण अपीलार्थी ने स्वयं एक अलग कमरे में रहना शुरू कर दिया तथा उसके साथ

बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया एवं दिसंबर, 1993 से उसका जीवन दयनीय बना कर रख दिया।

9. प्रत्यर्थी ने आगे कहा कि सुश्री बी.एस. के पिता श्री एन.आर.एस. ने न्यूपा के निदेशक को भी विभिन्न अभ्यावेदन दिए, जहां अपीलार्थी कार्यरत था, इसके अलावा उन्होंने सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, पुलिस और विधिक सहायता एवं सलाह बोर्ड, पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली को भी अभ्यावेदन दिया कि अपीलार्थी उनकी बेटी सुश्री बी.एस. का जीवन बर्बाद कर रहा है।

10. इसके बाद, अपीलार्थी दिनांक 11.08.1994 को वैवाहिक घर से छोड़ दिया तथा मालवीय नगर, नई दिल्ली में सुश्री बी.एस. एवं दो बच्चों के साथ रहने लगा। यह दावा किया जाता है कि वे पति-पत्नी की तरह रह रहे थे तथा बच्चों को सुश्री बी.एस. को माँ के रूप में संबोधित करने के लिए मजबूर किया गया था। प्रत्यर्थी को यह भी पता चला कि सुश्री बी.एस. पारिवारिक तरीके से थी।

11. प्रत्यर्थी ने अपने खिलाफ अपीलार्थी द्वारा लगाए गए झगड़ालू होने के सभी आरोपों से इनकार किया। उसने जोर देकर कहा कि उसने अपने सभी वैवाहिक कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन किया, लेकिन विवाद केवल सुश्री बी.एस. के साथ अपीलार्थी के अवैध संबंध के कारण था। उसने सीएडब्ल्यू सेल में दिनांक 04.07.1994 को शिकायत करना स्वीकार किया, हालाँकि, उसने उल्लेख किया कि ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि उसके बच्चों को

गैरकानूनी तरीके से उसकी अभिरक्षा से ले लिया गया था। उसने आगे स्पष्ट किया कि यह अपीलार्थी ही था जिसने वैवाहिक संबंध बनाए रखना समाप्त कर दिया तथा आखिरकार उसने अपने अवैध संबंध के कारण दिनांक 11.08.1994 को वैवाहिक घर छोड़ दिया। वास्तव में, उसी दिन उसने और सुश्री बी.एस. ने भी न्यूपा से अपनी नौकरी छोड़ दी। इसलिए यह दावा किया गया कि अपीलार्थी विवाह-विच्छेद का हकदार नहीं था।

12. **अपीलार्थी ने अपने प्रतिवेदन में** अवैध संबंध के सभी आरोपों से इनकार किया तथा दावा किया कि ये आरोप मानहानिकारक हैं। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उन्होंने भा.दं.सं. की धारा 500 के तहत शिकायत भी दर्ज की थी जिसका निपटारा दिल्ली के विद्वान महानगर दंडाधिकारी के समक्ष लंबित था। उसने आगे दावा किया कि सुश्री बी.एस. के माता-पिता उस छात्रावास में आए थे जहाँ सुश्री बी.एस. रह रही थी और गंगा छात्रावास के बस स्टॉप पर सार्वजनिक रूप से उसकी पिटाई की और उन्हें पार्क की गई गाड़ी में घसीटा गया। अपीलार्थी ने हस्तक्षेप करने तथा सुश्री बी.एस. के माता-पिता को शांत करने की कोशिश की थी, जिस पर वे नाराज़ हो गए एवं उनके चरित्र के विरूद्ध बेबुनियाद आरोप लगाने लगे। उसने स्पष्ट किया कि सुश्री बी.एस. को उन्होंने केवल बच्चों की देखभाल के लिए नियुक्त किया था। उसने प्रत्यर्थी/पत्नी के विरूद्ध क्रूरता के अपने आरोपों को दोहराया था।

13. **मुद्दों** को दिनांक **04.12.1996** को निम्नानुसार तैयार किया गया था:

"(i) क्या प्रत्यर्थी ने विवाह के बाद याचिकाकर्ता के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है?

(ii) अनुतोष।"

14. अपीलार्थी **अभि.सा.1** एवं सुश्री बी.एस. **अभि.सा.2** के रूप में पेश हुए, साथ ही सुश्री बी.एस. के पिता श्री एन.सी.एस. **न्या.सा.1** के रूप में पेश हुए। प्रत्यर्थी **प्र.सा.1** के रूप में पेश हुए तथा उन्होंने सुश्री भारती को **प्र.सा.2,** एचसी दाल चंद को **प्र.सा.3,** सिंडिकेट बैंक के अधिकारी श्री प्रेम पाल को **प्र.सा.4,** न्यूपा के प्रशासनिक अधिकारी श्री जी.एस. भारद्वाज को **प्र.सा.5,** विद्वान महानगर दंडाधिकारी के न्यायालय से श्रीमती कुसुम अहमद को **प्र.सा. 6,** दिल्ली पुलिस की सब इंस्पेक्टर सुश्री सरोज बाला को **प्र.सा.7,** सुश्री बी.एस. की बहन सुश्री सुरबी सरकार को **प्र.सा.8,** दिल्ली विधिक सहायता एवं सलाह बोर्ड के कार्यालय से एलडीसी रमेश चंद को **प्र.सा.9** तथा श्रीमती बिंदु खंडेलवाल को **प्र.सा.10** के रूप में पेश किया।

15. **विद्वान अति.जि.न्या.** ने साक्ष्य एवं दस्तावेजों का हवाला देते हुए **निष्कर्ष** निकाला कि अपीलार्थी और सुश्री बी.एस. के बीच संबंध इस तरह के थे कि कोई यह मान सकता था कि उनके बीच पति-पत्नी का रिश्ता था, जो कि गैरकानूनी, अनधिकृत एवं नियम तथा प्रथा द्वारा स्वीकृत नहीं था और उनके बीच यौन संबंध की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता था। इसलिए, प्रत्यर्थी के संदेह को निराधार नहीं माना गया एवं अपीलार्थी के प्रति उसका

आचरण क्रूर नहीं पाया गया, जिससे उसे विवाह-विच्छेद के आदेश का हकदार बनाया जा सके। **तदनुसार विवाह-विच्छेद याचिका खारिज कर दी गई।**

16. **विवाह-विच्छेद याचिका खारिज होने से व्यथित, अपीलार्थी/पति ने वर्तमान अपील दायर की है।**

17. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान अपील में अपने कथनों के समर्थन में *शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन* अंतरण याचिका (सिविल) सं. 1118/214, *नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली* अपील (सिविल) 812/2004 सर्वोच्च न्यायालय, *दिशाद कुशवाहा बनाम ऋतुराज सिंह* आ.प्र.अ. सं. 653/2016 मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय *बनाम* वैवा. अपील सं. 513/2021 केरल उच्च न्यायालय एवं *के. मल्लिकार्जुन बनाम एच.ए. सुधा मल्लिकार्जुन* विविध आ.प्र.अ. सं. 4314/2012 कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा जताया है तथा दिनांक 21.12.1999 की डिक्री को अपास्त करने एवं हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(झ-क) के तहत विवाह-विच्छेद हेतु प्रार्थना की है।

18. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।**

19. प्रत्यर्थी के परिसाक्ष्य से यह बात सामने आई है कि वह और अपीलार्थी दिनांक 08.12.1982 को अपनी शादी से पहले करीब डेढ़ साल तक जेएनयू में साथ-साथ पढ़ते हुए मिले थे। उन दोनों को एक बेटा और एक बेटी हुई तथा

स्पष्ट तौर पर वे सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते थे तथा करीब वर्ष 1993 तक उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहा। स्पष्ट है, वर्ष 1994 में उनके बीच बड़े स्तर पर मतभेद होने लगे।

20. यह उन दुर्भाग्यपूर्ण मामलों में से एक है, जहां दिनांक 06.12.1982 को दोनों पक्षकारों के विवाह के पश्चात्, उनके बीच संबंध दिसंबर, 1993 तक स्थिर रहे। जीवन की सभी अनिश्चितताएं तब सामने आईं, जब 10 वर्षों की पर्याप्त लंबी अवधि के लिए सौहार्दपूर्ण विवाहित जीवन के बावजूद, स्पष्ट तौर पर अपीलार्थी ने अपनी सहकर्मी सुश्री बी.एस. के प्रति स्नेह विकसित किया, जो उसी कार्यालय में काम कर रही थी, तथा यही वह बिंदु था जब प्रत्यर्थी की पूरी दुनिया बिखर गई। अपीलार्थी ने स्वयं यह कहा है कि प्रत्यर्थी ने सुश्री बी.एस. के साथ अवैध संबंध के आरोप लगाने शुरू कर दिए। हालाँकि, ये आरोप निराधार नहीं थे, जैसा कि अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से पता चलता है।

21. अपीलार्थी को दिनांक 15.07.1993 को जी.एम. मोदी अस्पताल में भर्ती कराया गया था तथा उसका आंत्रपुच्छशोथ का ऑपरेशन किया गया था। उसके अनुसार, प्रत्यर्थी अस्पताल में पहुंची एवं झगड़ा किया जिसके कारण उसे अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा वार्ड से बाहर निकाल दिया गया। प्रत्यर्थी ने अपनी गवाही में इस घटना का पुरज़ोर विरोध किया है, जिसने इसके बजाय यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अपीलार्थी के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पूरी देखभाल की थी।

22. पक्षकारों के संबंधित परिसाक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों के बीच विवाद की उत्पत्ति अपीलार्थी के सुश्री बी.एस. के साथ संबंध से हुई थी। वह स्वीकार करती है कि अपीलार्थी को तब पता चला जब वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान में काम कर रही थी, जिसमें अपीलार्थी खुद यह स्वीकार करता है कि उसका उससे संबंध था। इसके बाद, सुश्री बी.एस. की नियुक्ति न्यूपा में हो गई, जहां अपीलार्थी भी काम कर रहा था। साथ काम करते समय उनकी घनिष्ठता और बढ़ गई, जो अपीलार्थी की इस स्वीकारोक्ति से स्पष्ट है कि वह उसे आधिकारिक दौरों पर अपने साथ ले जाता था तथा यहां तक कि बच्चों के साथ उसे काजा भी ले गया था। काजा से लौटते समय वह उसके और बच्चों के साथ पटियाला में अपने सास-ससुर के घर गया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि कई बार वह विभिन्न सरकारी दौरों पर उनके साथ जाती थी, लेकिन उसने यह कहकर इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि वह केवल जूनियर एसोसिएट के रूप में उनके साथ जाती थी।

23. अपीलार्थी ने इस बात से साफ इनकार किया है कि उसका सुश्री बी.एस. के साथ कोई अवैध संबंध था, लेकिन याचिका में उसके द्वारा यह स्वीकार किए जाने से उसकी अपने अभिवाक् खत्म हो जाते हैं कि वह उसके साथ मालवीय नगर में उसके घर में रहने आई थी। अपीलार्थी ने एक शानदार स्पष्टीकरण दिया कि वह बच्चों की देखभाल करने हेतु एक (दाई माँ) गवर्नेस के रूप में उसके साथ रहने लगी थी। अपीलार्थी के अनुसार, उसने उसे इस काम के लिए

15,000/- रुपये प्रति माह का भुगतान किया था। दिलचस्प बात यह है कि सुश्री बी.एस. स्वयं न्यूपा में काम करने वाली एक सरकारी कर्मचारी थी और उसे एक दाई माँ के रूप में नियुक्त किया गया था तथा यहां तक कि कथित तौर पर 15,000/- रुपये का भुगतान किया गया था, जो एक स्पष्टीकरण है, जिसे केवल बेतुका ही कहा जा सकता है।

24. इस संदर्भ में, *प्र.सा.2, सुश्री भारती,* जो एक पारिवारिक मित्र हैं, की परिसाक्ष्य का उल्लेख करना भी समीचीन होगा, जिसने यह भी कहा था कि जब वह वर्ष 1994-95 में अपीलार्थी के घर गई थी, तो उसने न केवल सुश्री बी.एस. को घर में उपस्थित देखा, जो एक गृहिणी की तरह घर की देखभाल कर रही थी, बल्कि बच्चे भी उसे *"मां"* कहकर संबोधित कर रहे थे।

25. प्रत्यर्थी द्वारा जाँच की गई एक अन्य सामग्री साक्षी सुश्री बी.एस. की बड़ी बहन *प्र.सा.8 सुरभी सरकार* थी, जिसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि उसकी छोटी बहन, सुश्री बी.एस., वर्ष 1994 से उसके साथ अपीलार्थी के घर में रह रही थी। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि यह अपीलार्थी एवं सुश्री बी.एस. के बीच का संबंध था जो उनके परिवार में परेशानी का कारण बना, जैसा कि उनके पिता द्वारा विभिन्न अधिकारियों को भेजे गए विभिन्न पत्रों एवं शिकायतों में परिलक्षित होता है। इस रिश्ते ने परिवार को बहुत परेशान कर दिया था।

26. याचिका में की गई स्वीकारोक्ति तथा अपीलार्थी एवं अन्य साक्षियों के परिसाक्ष्य के अलावा, अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य भी हैं। अपीलार्थी ने यह

स्वीकार किया है कि जब से वह मालवीय नगर में रह रहा था, तब से पड़ोसियों ने शिकायत की थी कि अपीलार्थी का सुश्री बी.एस. के साथ संबंध है। पड़ोसियों ने पुलिस डायरी सं. वर्ष 1966 दिनांक 30.11.1994 *के माध्यम से* शिकायत की थी, जो 'चिह्न क' है तथा अभि.सा.3 एचसी *दाल चंद* द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसके बाद, अपीलार्थी ने यह दावा करके इस शिकायत को स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि इसे पत्र प्रदर्श.अभि.सा.1/प्र.1 *के माध्यम से* वापस ले लिया गया था। हो सकता है कि बाद में शिकायत वापस ले ली गई हो तथा अपीलार्थी ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया हो कि पड़ोसियों को अंततः सुश्री बी.एस. के साथ उसके संबंध के बारे में विश्वास हो गया था तथा उनकी आशंका समाप्त हो गयी, लेकिन तथ्य यह है कि सुश्री बी.एस. मालवीय नगर में अपीलार्थी के साथ रहने आई थी, जिस पर पड़ोसियों ने आपत्ति जताई थी।

27. दस्तावेजी साक्ष्य का दूसरा सेट, जो सुश्री बी.एस. के साथ अपीलार्थी के संबंधों के बारे में खुलासा करता है, वह कोई और नहीं बल्कि सुश्री बी.एस. के पिता श्री एन.सी.एस. द्वारा न्यूपा विभाग, पुलिस, दिल्ली विधिक सहायता बोर्ड तथा अन्य एजेंसियों को लिखी गई शिकायतें हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अपीलार्थी उनकी बेटी सुश्री बी.एस. का जीवन बर्बाद कर रहा है। दिलचस्प बात यह है कि श्री एन.सी.एस. उस समय न्यायालय में मौजूद थे जब अपीलार्थी के कहने पर आरपीडब्लू सुश्री बी.एस. की गवाही दर्ज की गई थी, तथा उनका अभिसाक्ष्य न्या.सा.1 के रूप में भी दर्ज किया गया था। प्रासंगिक

रूप से, उन्होंने न्यूपा को पत्र प्रदर्श.अभि.सा.5/1 एवं प्रदर्श.प्र.सा.8/6 के साथ-साथ दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण को दस्तावेज प्रदर्श.प्र.सा.8/अभि.1 लिखने की बात स्वीकार को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, प्रदर्श.प्र.सा.6/1 तथा प्रदर्श.प्र.सा.6/2, जो प्राथमिकी सं. 313/94 में दर्ज उनके बयान हैं, से पता चलता है कि सुश्री बी.एस. अपने परिवार के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गई थी और अपीलार्थी द्वारा प्रभावित हो रही थी। इन सभी पत्रों/दस्तावेजों में, न केवल उन्होंने अपनी बेटी, जो उनसे बहुत छोटी थी, की अपीलार्थी के साथ अस्वीकार्य मित्रता पर आपत्ति जताई थी, बल्कि यह भी कहा था कि अपीलार्थी ने उसे गुमराह किया है तथा सुश्री बी.एस. से शादी करने का प्रस्ताव भी रखा है। हालाँकि, अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने यह दावा करके पीछे हटने की कोशिश की कि ये सभी शिकायतें गलतफहमी के कारण की गई थी।

28. ये सभी शिकायतें जो कि घटित घटनाओं के समकालीन हैं, दिनांक 04.03.1994 के बाद से लिखी गई हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसके बाद, अपीलार्थी न केवल सुश्री बी.एस. पर बल्कि उसके पिता पर भी दबाव बनाने में सफल रहा, जिसकी दिनांक 31.08.1998 को न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के साक्षी के रूप में आरपीडब्लू-1 तथा साक्षी के रूप में न्या.सा.-1 के रूप में जांच की गई थी।

29. यह तथ्य कि सभी शिकायतें न्या.सा.1, श्री एन.सी.एस. द्वारा स्वीकार की गई हैं, स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी के इस प्रकथन की पुष्टि करती हैं कि अपीलार्थी

ने प्रत्यर्थी के साथ अपने विवाह के परे सुश्री बी.एस. के साथ प्रेम विकसित किया था। विवाह-विच्छेद की कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान अपीलार्थी सुश्री बी.एस. के पिता को मनाने में सफल हो सकता है, लेकिन प्रत्यर्थी का यह दावा कि अपीलार्थी ने विवाह से परे संबंध विकसित किए हैं, न केवल मौखिक परिसाक्ष्य से बल्कि दस्तावेजों से भी पूरी तरह से पुष्टि एवं समर्थन करता है।

30. अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य दर्शाते है कि वास्तव में वह अपीलार्थी जो वर्ष 1994 से सुश्री बी.एस. के साथ जुड़ा हुआ था तथा अगस्त, 1994 में घर छोड़ कर चला गया था, उसने ही प्रत्यर्थी पर क्रूरता की थी। प्रत्यर्थी पत्नी को इस तरह के आरोप लगाने एवं उस रिश्ते के बारे में विरोध करने के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जिसका एक मजबूत निर्माण एवं आधार है। वास्तव में, उसके पास अपीलार्थी के आचरण के बारे में शिकायत करने का औचित्य था और अन्यथा कोई भी दृष्टिकोण रखना वास्तव में प्रत्यर्थी पर क्रूरता करना होगा।

31. यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलार्थी, उसकी बहन एवं बहनोई के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 498क/406 के तहत प्राथमिकी सं. 313/1992 दर्ज की गई थी तथा आरोप विरचित होने के समय बहन एवं बहनोई को आरोपमुक्त कर दिया गया था, लेकिन अपीलार्थी को बाद में दिनांक 03.05.2013 के निर्णय के तहत बरी कर दिया गया था। हालांकि, सुश्री बी.एस. के साथ संबंधों को उजागर करने वाले पर्याप्त साक्ष्यों को देखते हुए, विवाह-विच्छेद के बाद यह

बरी होना, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में यह कहने का आधार नहीं हो सकता है कि प्रत्यर्थी द्वारा उस पर किसी भी तरह की क्रूरता की गई थी। केवल इसलिए कि एक आपराधिक न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, प्रत्यर्थी के साथ अपने विवाह के अस्तित्व के दौरान एक युविका के साथ संबंध रखने की अपीलार्थी द्वारा की गई क्रूरता के दाग को नहीं धोता है; एक आपराधिक मामले में केवल बरी होना विवाह-विच्छेद का आधार नहीं हो सकता है।

32. हम, अपीलार्थी के स्पष्ट आचरण के आलोक में, उसके वैवाहिक संबंध के प्रति बहुत कम सम्मान दिखा रहे हैं, यह देखने के लिए बाध्य हैं कि 40 वर्षों से अधिक समय से असफल विवाह होने के बावजूद, विवाह-विच्छेद अपीलार्थी के गलत कार्यों को और अधिक मूल्यवान बनाना होगा। जबकि मानवीय भावनाओं की कोई सीमा और नियम नहीं होते, लेकिन निश्चित रूप से मन से निकलने वाली मानवीय संवेदनाएँ अपीलार्थी जैसे शिक्षित व्यक्ति के लिए प्रबल होनी चाहिए थीं, जो तीसरे व्यक्ति के प्रति अपने स्नेह को नियंत्रित करता, प्रत्यर्थी के प्रति बहुत कम सम्मान के साथ, जिसने उसके साथ विवाह की शपथ लेकर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया था। यह एक ऐसा मामला है जहाँ एचएमए, 1955 की धारा 23(1)(क), जो यह प्रावधान करती है कि कोई भी व्यक्ति अपने गलत कृत्यों का लाभ नहीं उठा सकता, पूरी ताकत से लागू होती है।

33. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने सही निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी ही प्रत्यर्थी के प्रति क्रूरता का जिम्मेदार है और उन्होंने विवाह-विच्छेद याचिका को खारिज कर दिया है।

34. तदनुसार, वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं है, जिसे लंबित आवेदन(ओं) के साथ, यदि कोई हो, खारिज किया जाता है।

(नीना बंसल कृष्णा)
न्यायाधीश

(सुरेश कुमार कैत)
न्यायाधीश

1 मार्च, 2024
वीए

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*